योजना आयोग की पूर्ण बैठक पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

13 सितंबर,2007
नई दिल्ली।

हमने उस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा की है जो हमारे देश की निरंतर प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया है, यद्यपि मैं मानता हूँ कि कौशल विकास के क्षेत्र को अंतिम रूप देने के लिए काफी कुछ किया जाना चाहिए।

योजना आयोग की टिप्पणी में प्रस्तुत दृष्टिकोण से व्यापक स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ है। 11वीं योजना में शिक्षा के लिए केंद्र सरकार निधि प्रदान करने का प्रस्तावित पैमाना निर्धारित मूल्यों में लगभग 2.5 लाख करोड़ के बराबर है, जो 10वीं योजना की तुलना में चार गुना बढ़ोतरी है। संपूर्ण योजना में शिक्षा का भाग तदनुसार 7.7% से बढ़कर 19.4% हो जाएगा। यह हमारी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को दी जा रही उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है और केंद्र और राज्यों के हमारे संयुक्त 6% जी डी पी का सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के उद्देश्य की ओर विश्वसनीय प्रगति को दर्शाता है।

जिन प्रस्तावों पर आज चर्चा की गई, इसमें अलग-अलग प्रकार की संकल्पनाएं निहित हैं। जबकि कुछ प्रस्ताव अगले कुछ सप्ताह में कार्यान्वित किए जाने को तैयार हैं, अन्य को अंतिम रूप देने में काफी समय लगेगा। योजना आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौशल विकास से संबंधित अन्य मंत्रालयों को प्रत्येक प्रमुख नए कार्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके सम्मत दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए।

मैं कुछ बातों पर विशेष रूप से जोर देना चाहता हूँ :

1. प्राथमिक शेक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा को महत्व देना।

सर्वशिक्षा अभियान ने देश के अधिकांश भागों में सर्वव्यापी स्तर पर पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यहां तक कि मैं जानता हूं कि बीच में स्कूल छोड़ने की बढ़ती हुई संख्या एक बहुत बड़ी कमी है। अब इसे ऐसी अवस्था की ओर मुड़ना चाहिए जहां लक्ष्य खर्च की जा रही धनराशि का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना होना चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान में गुणवत्ता में सुधार की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां तक कि इसे एस एस ए की दूसरा अवस्था कहा जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उन न्यूनतम मानदंडों पर कार्य करना चाहिए जो समस्त स्कूलों चाहे पब्लिक हों या प्राइवेट, द्वारा पूरे किए जाएं और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि वास्तव में लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, इस संबंध में ब्यौरा तैयार किया जाना चाहिए। जिलों में अनु0 जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्ष 2008-09 के अंत तक ऊपरी प्राथमिक स्तर पर 60 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को शामिल करने के लिए मध्यांतर आहार योजना (एम डी एम) का शीघ्रता से विस्तार किया जाएगा और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज मंत्रिमंडल ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।

हम माध्यमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का लक्ष्य स्थापित कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापी बनाने के बाद यह स्पष्ट तौर पर नया प्रयास है। जबकि यह लक्ष्य सराहनीय है और इससे

पहले कि हम स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ऐक्सेस फॉर सैकण्डरी एजुकेशन (एस यू सी सी ई एस एस) शुरू करें, काफी कार्य किया जाना बाकी है। इसका ब्यौरा शीघ्रातिशीघ्र बताया जाए और राज्यों से चर्चा की जाए ताकि हम वर्ष 2008-09 से इसे शुरू करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। हमें इस कार्य की जटिलता को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के सिद्धांतों को सरलता से माध्यमिक शिक्षा में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। शारीरिक, वित्तीय, शेक्षणिक और मानव संसाधन संबंधी जरूरतें काफी भिन्न हैं। हमें निजी क्षेत्र द्वारा इस समय निभाई जा रही भूमिका का भी ध्यान रखना चाहिए और इसके अंतर्गत नीति तैयार करने संबंधी कारक पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए व्यापक स्तर पर कार्य नीतियां और योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। जिलों में अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति/ अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हम सुविधाओं से वंचित समुदायों से आए बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि श्री शरद पवार द्वारा कही गई बातों में उनकी विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। सच्चर समिति की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और इस कार्यक्रम की आयोजना करते समय इसे हमारी योजना प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए।

शुरूआत करने के लिए, केंद्र एवं राज्यों द्वारा मिलकर किए जाने वाले व्यय सहित 6,000 उच्च गुणवत्ता मॉडल स्कूलों के निर्माण के प्रस्ताव को अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इन स्कूलों के निर्माण और व्यवस्था के लिए कार्य प्रणाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए चाहे वे स्कूल सरकारी क्षेत्र में हो अथवा किसी भी दृष्टिकेण से निजी भागीदारी से हों। यहध्यान में रखा जाए कि लगभग 60 प्रतिशत माध्यमिक स्कूल निजी प्रबंधन के अंतर्गत हैं और मंत्रालय एवं योजना आयोग को यथासंभव निजी क्षेत्र की भूमिका को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रस्ताव की एक रूपरेखा दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करने से कई क्षेत्रों में क्षमता संबंधी व्यवधान आएंगे जैसे- पर्याप्त संख्या में गणित और विज्ञान के अध्यापक लेने, अध्यापकों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षा का उचच स्तर सुनिश्चित करना और स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। इसमें अध्यापक प्रशिक्षण और प्रबंधकीय नियंत्रण पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। निःसंदेह मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस जरूरत को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करेगा।

3. उच्चतर शिक्षा

पिछले दशक में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की अपेक्षाकृत उपेक्षा की गई है। इस प्रणाली में 50 और 60 के दशक में निवेश किया गया थ जिसने कई क्षेत्रों में हमें ज्ञान का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। हम शीघ्रता से इस क्षेत्र के विस्तार के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

जिन राज्यों में विश्वविद्यालय नहीं हैं उनमें 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरे राज्यों में 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 आई आई टी, 7 आई आई एम और विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान के 5 भारतीय संस्थानों के निर्माण पर आम सहमति है। उनके राज्यों में इन संस्थाओं का पता लगाने के लिए मुझे पहले से ही कई राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि काफी संख्या में विचाराधीन संस्थाओं से हम हर राज्य को कुछ हद तक संतुष्ट कर पाएंगे।

ऐसे कुछ विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं को प्रारंभ से विश्व श्रेणी के स्तरों को प्राप्त करने के लिए लक्षित किया जाना चाहिए। विश्व श्रेणी स्तरों पर लक्षित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए

अवसंरचना की दृष्टि से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना आवश्यक होगा। विशेषकर यदि उनमें विज्ञान, मेडीसिन, इंजीनियरी विभागों को शामिल किया जाए। इसमें अत्यधिक व्यय होगा। अतः इन विश्वविद्यालयों में निजी भागीदारी की गुंजाइश का योजनाबद्ध रूप से पता लगाना चाहिए। इन संस्थाओं का स्थान इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि इन विश्वविद्यालयों के संभावित सहक्रियाओं के साथ-साथ भौगोलिक स्तर पर व्यापक विस्तार करने की हमारी आकांक्षा को साकार किया जा सके। स्थान के संबंध में निर्णय पूर्णतया भूमि की उपलब्धता पर आधारित नहीं होने चाहिए। हमें राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे इन महत्वपूर्ण केंद्रीय संस्थाओं के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा में आगे आएं।

ये ऐसे निर्णय हैं जिनका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक राज्यों के शैक्षणिक विकास के मार्ग पर पड़ेगा और उन पर अत्यधिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। इस उच्च दृश्यता कार्यक्रम का ब्यौरा और रोल-आउट किसी अंतर्मंत्रालयीय समूह द्वारा तैयार किया जाए जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और योजना आयोग और बाहर के विशेषज्ञ जिन्हें योजना आयोग एक पखवाड़े में नियुक्त कर सकता है, सम्मिलित होंगे। स्थान संबंधी निर्णय अगले दो माह में लिए जाने चाहिए।

एक बार विस्तृत नीतिगत ढांचा तैयार हो जाने पर हमें विश्व श्रेणी के स्तरों का लक्ष्य रखने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत योजना से शुरूआत करनी चाहिए। योजना आयोग की टिप्पणी से संबंधित प्रस्ताप में भिन्न-भिन्न टीमों का गठन, प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए संरचना के ब्यौरे और क्रियात्मक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना एक अच्छा विचार है। हमें शिक्षण के इन नए केंद्रों को तैयार करने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसी अवधारणाओं जैसे सामान्य प्रवेश परीक्षा, सेमेस्टर प्रणाली, लचीला पाठ्यक्रम, छात्र संस्था की विविधता, अंतर-संस्थागत छात्र स्थानांतरणीयता, संकाय भर्ती और स्थानांतरणीयता, स्वायत्ता एवं शासन सुधार पर इस योजना में विचार करना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों के लिए निधि प्रदान करने को अंतिम मंजूरी इन टीमों की रिपोर्टों के आधार पर दी जानी चाहिए। हमें व्यापक स्तर पर छात्रवृत्ति की स्कीम के साथ-साथ क्रमबद्ध तरीके से उचित स्तरों पर शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी छात्र अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता या सकती। यह एक सही दृष्टिकोण है और योजना आयोग को इन प्रस्तावों को विस्तार से तैयार करना चाहिए।

हमें उच्चतर शिक्षा के लिए सरकारी निधि बढ़ाने में निजी प्रयास की भूमिका की भी गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए। निःसंदेह हम निजी प्रतिक्रिया पर स्पष्ट तौर पर विश्वास नहीं कर सकते लेकिन हमें इसे सहायक के रूप में स्वीकारना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में निजी प्रयास की भूमिका है। कई राज्यों में अच्छे स्तर की निजी संस्थाएं बनी हैं। हमें उन नीतिगत मुद्दों की ध्यानपूर्वके जांच करनी चाहिए जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

अंत में मैं उस गुणवत्ता शिक्षा के पहलू पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसका उल्लेख तो किया गया है लेकिन विस्तारपूर्वक नहीं बताया गया है। आइ आई टी और आई आई एम ने सर्वव्यापी स्तर पर" स्टार स्टेटस" हासिल किया है और हमारे पास ऐसी संस्थाओं में वृहत संभावित क्षमताएं हैं जिन्हें आसानी से हासिल किया जा सकता है। मौजूदा कुछ आई आई टी और आई आई एम के पास काफी जमीन है और तीन गुना छात्र संख्या बढ़ाने की क्षमता है। हमारी इस समय अन्य पिछड़े वर्गों (ओ बी सी) से छात्रों को आरक्षण देने के लिए 54 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है। वस्तुतः मुझे लगता है कि हमें मौजूदा आई आई टी और आई आई एम की अधिकतम क्षमता का

पता लगाने के लिए समिति गठित करनी चाहिए। योजना आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस प्रयोजन से एक समूह बनाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि जैसी शीर्षस्थ संस्थाओं की भूमिका और कार्यों की ऐसे कई परिवर्तनों के संदर्भ में समीक्षा की जानी चाहिए जो गत गई वर्षों में उच्चतर, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में हुए हैं और जिनमें एक नई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरत है। योजना आयोग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इस क्षेत्र में एक विशिष्ट सुधार एजेंडा का सुझाव देने के लिए कार्यकारी समूह गठित करना चाहिए।

4. व्यावसायिक शिक्षा

एक क्षेत्र है जहां मुझे विश्वास है कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए हैं, वह है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास। मैंने 15 अगस्त को इस बात का उल्लेख किया था कि हम इस दिशा में एक करोड़ बच्चों को नामांकित करने के लिए क्षमता विकसित करेंगे। परंतु इस संबंध में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास दोनों क्षेत्रों में ये प्रस्ताव सतही तौर पर ही हैं। मैं चाहूंगा कि योजनाआयोग समस्त संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके इस प्रस्ताव को 2 अक्तूबर से पहले तैयार करे जिससे कि हम इस वर्ष कुछ वास्तविक कार्य देख सकें।

निष्कर्ष

अंत में योजना आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली की मात्रात्मकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सही रूप देने में सतत प्रयास किए। परंतु मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हम बहुत लंबे समय तक विकल्पों पर चर्चा नहीं कर सकते। यदि हम इस संबंध में कुछ कार्य होते देखने चाहते हैं तो हमें तत्काल और निर्धारित समय में कार्य करने की भावना से कार्य करना होगा। हम कुछ वर्षों तक इन चार क्षेत्रों में सैद्धांतिक अभ्यास जारी रखेंगे। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा कि आज जिन सब बातों पर हम सहमत हुए हैं हम उन्हें शीघ्र ही शुरू कर देंगे। समस्त ब्लॉक सम्मिलित करते हुए 6,000 स्कूलों के निर्माण, 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव और व्यावासायिक शिक्षा में व्यापक क्षमताएं प्रदान करने को अगले दो माह में अंतिम रूप दिया जाए। स्थान के संबंध में निर्णय शीघ्र लिए जाएं। यह केवल तभी हो सकता है जब अपने वादों को पूरा करने के लिए आम आदमी को हमारी क्षमता पर विश्वास होगा।

****